

फ़ाइल संख्या: एल-110102(1)/126/2024-व्यापार (ई-27918)

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001,
दिनांक / दिनांक 3 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत में आयात करने से पहले जीवित पशुओं (पालतू बिल्लियों) में सांस की तकलीफ़ समेत इन्फ्लूएंजा जैसे रोग (ILI) के लिए प्रमाणन की ज़रूरत के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पालतू बिल्लियों (घरेलू- फेलिस कैटस) के संबंध में, इस संबंध में अन्य मौजूदा आवश्यकताओं के अतिरिक्त, भारत में आयात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

आयात पूर्व आवश्यकता (आधिकारिक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में प्रमाणित होना);

"जांच के दिन* बिल्ली में इन्फ्लूएंजा जैसे रोग (ILI) का कोई क्लिनिकल संकेत और लक्षण नहीं दिखा, जिसमें सांस लेने में तकलीफ भी शामिल है।"

*शिपमेंट से 7 दिन पहले बिल्ली की जांच न करें।

आयात के बाद की ज़रूरतें:

मालिक की तरफ से एक अंडरटेकिंग, अगर पालतू बिल्ली में भारत में आयात के 14 दिनों के अंदर सांस का कोई रोग दिखता है, तो वह संबंधित पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा को बताएगा (सिर्फ एवियन इन्फ्लूएंजा से प्रभावित देशों के लिए)।

2. इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमोदन प्राप्त है।

उप-आयुक्त
03-07-2024
(डॉ गगन गर्ग)

उप-आयुक्त (व्यापार)

जारी.....

वितरण:

1) सभी क्षेत्रीय अधिकारी / संगरोध अधिकारी, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएँ, दिल्ली / मुंबई / बेंगलुरु / चेन्नई / कोलकाता / हैदराबाद।

2) NIC, DAHD को डिपार्टमेंट और AQCS की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। ईमेल: jscus@nic.in

2) महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। ईमेल: dgft@nic.in

3) उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। ईमेल: d2tpd-doc@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, एएचडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।

2) AS (VJ) / AHC / JS (OPC) / JS (LH) / JS (SSP) को PPS।